कानूनी साक्षरता शृंखला - 8

साक्षर भारत

अत्याचार का अंत

(अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
अत्याचार निवारण अधिनियम 1989)

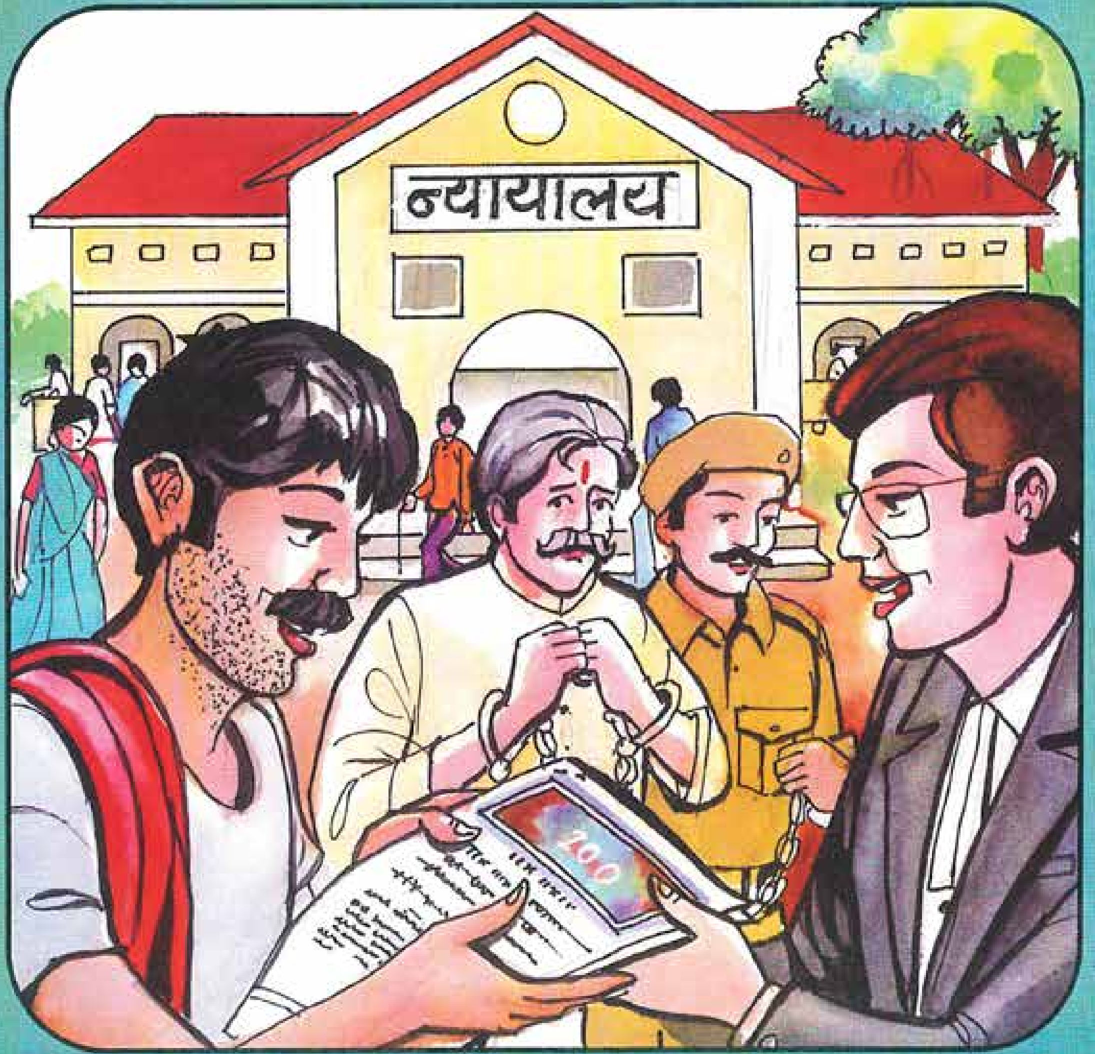

आभार

साक्षर भारत कार्यक्रम सितम्बर 2009 में प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत देश के निम्न महिला साक्षरता दर वाले 410 जिलों को सम्मिलित किया गया है। साक्षर भारत कार्यक्रम का केन्द्र बिन्दु ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग व अल्पसंख्यक समुदाय है। कार्यक्रम में बुनियादी साक्षरता के साथ-साथ समतुल्यता कार्यक्रम, कौशल विकास व सतत् शिक्षा को भी जोड़ा गया है।

साक्षरता को शिक्षार्थियों/लाभार्थियों के दैनिक जीवन से अधिक जुड़ा हुआ व रोचक बनाने के उद्देश्य से इन्टरपर्सनल मीडिया कैम्पेन प्रारंभ किया गया है। कैम्पेन में जिन प्रमुख विषयों पर बल दिया जा रहा है उनमें कानूनी साक्षरता भी एक प्रमुख विषय है।

कानूनी साक्षरता की जानकारी सहज रूप में जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कानूनी साक्षरता शृंखला का निर्माण किया गया है। कानूनी साक्षरता सामग्री का निर्माण राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यशाला में राज्य संसाधन केन्द्र, इंदौर, भोपाल, रांची, पलामू के साथियों द्वारा विषय विशेषज्ञों तथा प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के मार्गदर्शन में किया गया है।

कानूनी साक्षरता सामग्री के निर्माण में न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार व यूएनडीपी के A2J प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट टीम द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया व सामग्री का अनुमोदन न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण सभी सहयोगी संस्थाओं/विभागों के प्रति आभार व्यक्त करता है। आशा है कि यह सामग्री कानूनी साक्षरता के प्रति जन सामान्य में कानूनी जागरुकता लाने में उपयोगी सिद्ध होगी।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

अत्याचार का अंत

रामू एक गरीब किसान था। वह अनुसूचित जाति का था। उसके पास सड़क के किनारे नदी के पास 2 एकड़ खेती थी। रामू के खेत के पास ही गांव के सेठ धनराज की जमीन थी। यह जमीन रामू के खेत के पीछे की ओर थी।

रामू की शादी सीता के साथ हुई थी। उसका एक बेटा था गोलू। एक बेटी थी किरण। सभी खेत में बनी झोपड़ी में रहते थे।

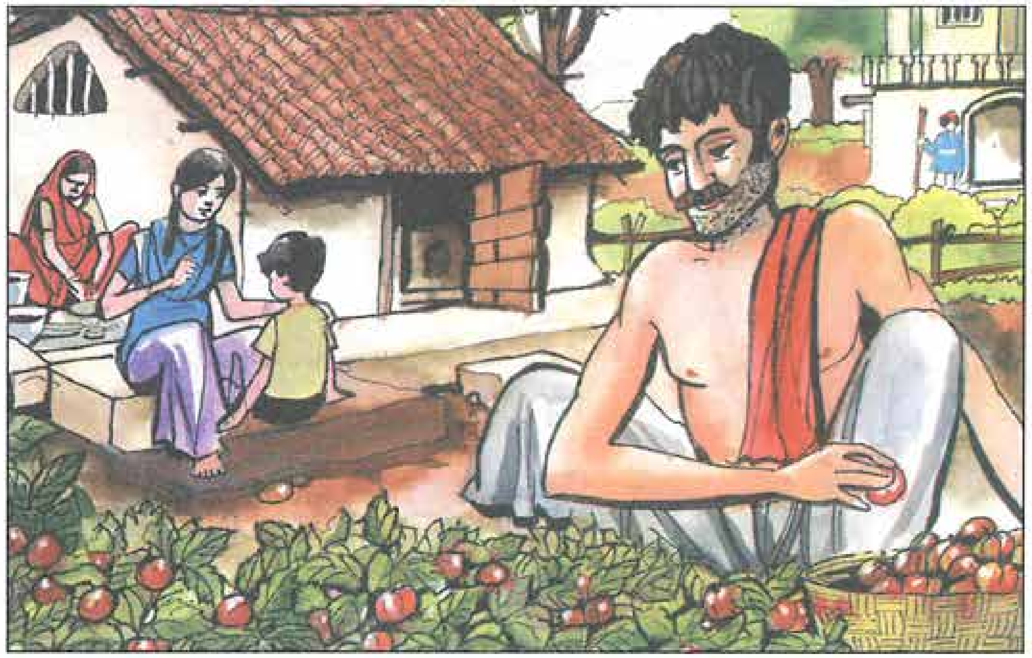

किरण की शादी के लिए रामू को कुछ रुपयों की जरूरत थी। वह गांव के सेठ धनराज के पास गया। उसने धनराज से रुपया उधार मांगा। धनराज उधार देने को तुरंत राजी हो गया। धनराज की नीयत ठीक नहीं थी। वह चाहता था कि किसी भी तरह वह रामू की जमीन हड़प ले, ताकि उसकी जमीन सड़क से जुड़ जाए।

धनराज को यह मौका अच्छा लगा। उसने रामू से कहा- ''रामू, मैं तुम्हें रुपया तो देता हूं, पर तुम्हें लिखा-पढ़ी सरकारी ऑफिस में करनी होगी।'' अगले महीने किरण की

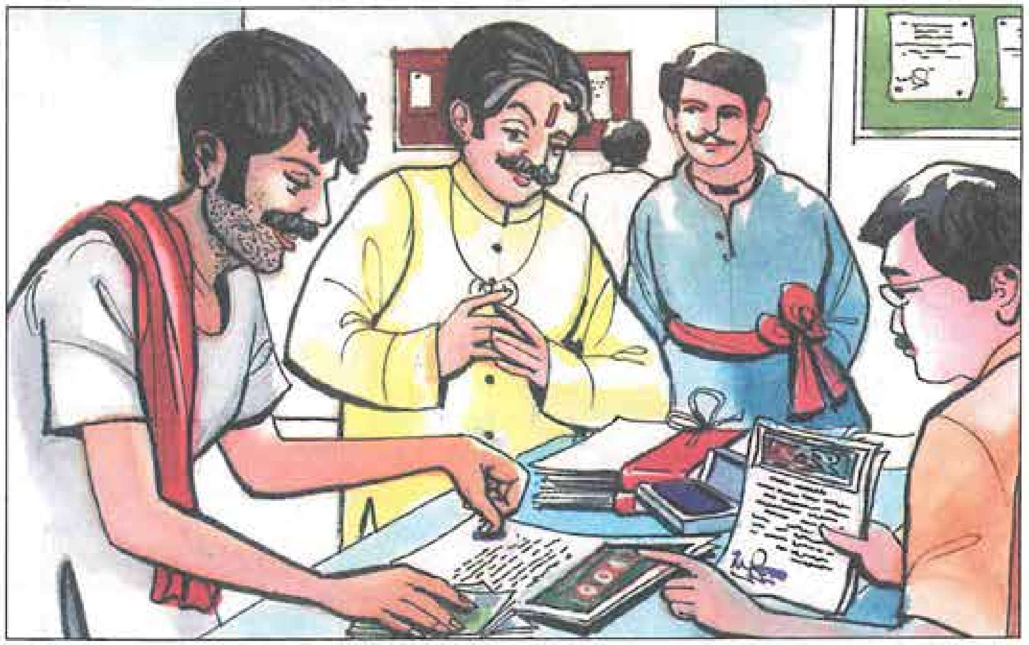

शादी होनी थी। रुपयों की बहुत जरूरत थी। रामू पढ़ा-लिखा नहीं था। उसने धनराज पर भरोसा कर लिया।

धनराज ने रामू को रुपए सरकारी ऑफिस में दिए। कागजातों पर लिखा-पढ़ी कर रामू का अंगूठा लगवा लिया।

रामू ने किरण की शादी किशन के साथ कर दी। खेत में उस साल गेहूं की अच्छी फसल हुई। उसने कृषि उपज मंडी में गेहूं बेचा। गेहूं अच्छे भाव बिक गया। रामू ने अपने भाई श्यामू के साथ जाकर धनराज को ब्याज सहित रुपया लौटा दिया।

रामू ने धनराज से अपने कागजात मांगे। धनराज ने टालते हुए कागजात ढूंढकर देने की बात कही। रामू व श्यामू सीधे-सादे अनपढ़ किसान थे। वे मान गए।

बारिश का मौसम आने वाला था। रामू अपने खेत में जुताई करने पहुंचा। उसे बीज बोने की तैयारी करनी थी।

खेत पर धनराज के नौकर खड़े थे। नौकरों ने रामू को जमीन से भगा दिया। वे धनराज के ट्रैक्टर से बीज बोने लगे। रामू, धनराज के पास गया। उसने धनराज से कहा- ''मैंने

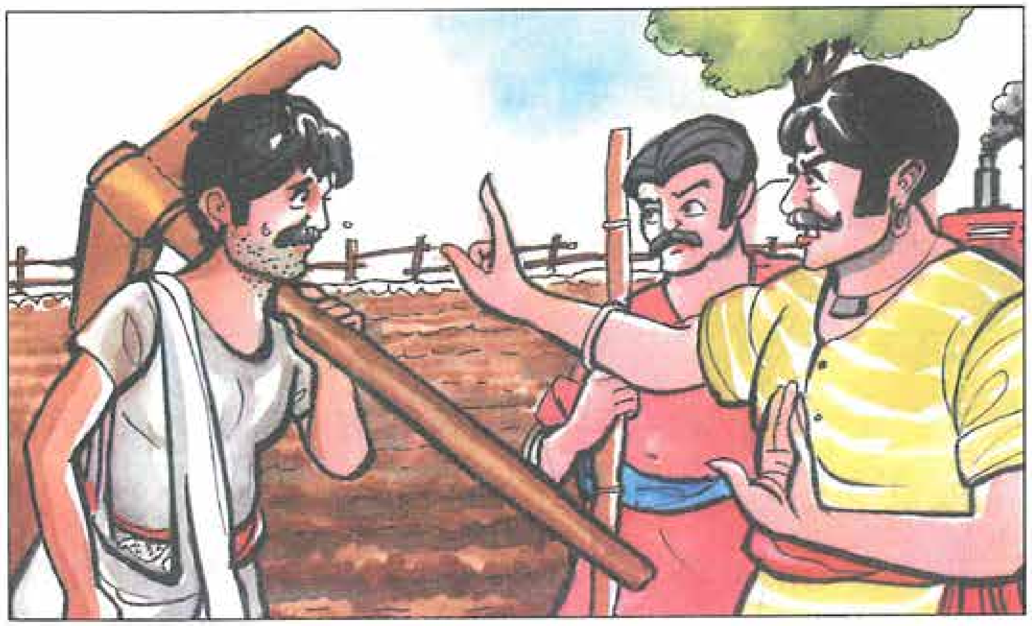

तुम्हारे रुपए लौटा दिए तो भी तुमने कागजात वापस नहीं दिए। फिर मेरी जमीन पर तुम्हारे नौकर कैसे आए? वे ट्रैक्टर से बीज क्यों बो रहे हैं?''

धनराज गुस्से में आकर बोला- ''रामू, तुमने अपनी जमीन मुझे बेच दी है। अब तुम जमीन के मालिक नहीं हो। खेत पर पैर भी रखा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा।''

धनराज की बात सुनकर रामू घबरा गया। वह रोने लगा। धनराज से दया की भीख मांगने लगा। हाथ जोड़कर रामू ने कहा- ''मैंने तुमसे जो रुपए उधार लिए थे, वे फसल आते

ही मैंने श्यामू के सामने वापस लौटा दिए। परंतु तुमने कागजात वापस नहीं लौटाए। तुम टालमटोल करने लगे। तुम बेईमानी मत करो।''

धनराज ने कहा– ''तू मुझसे झगड़ा करेगा? अरे कोई इसे धक्के मारकर हवेली से बाहर कर दो।''

बेचारा रामू रोते-रोते अपने घर जाने लगा। रास्ते में रामू को गांव के पटेल मिले। उन्होंने रामू को रोते हुए देखा तो रामू से पूछताछ की।

रामू ने रोते-रोते पटेल साहब को सारी बात बताई। पटेल

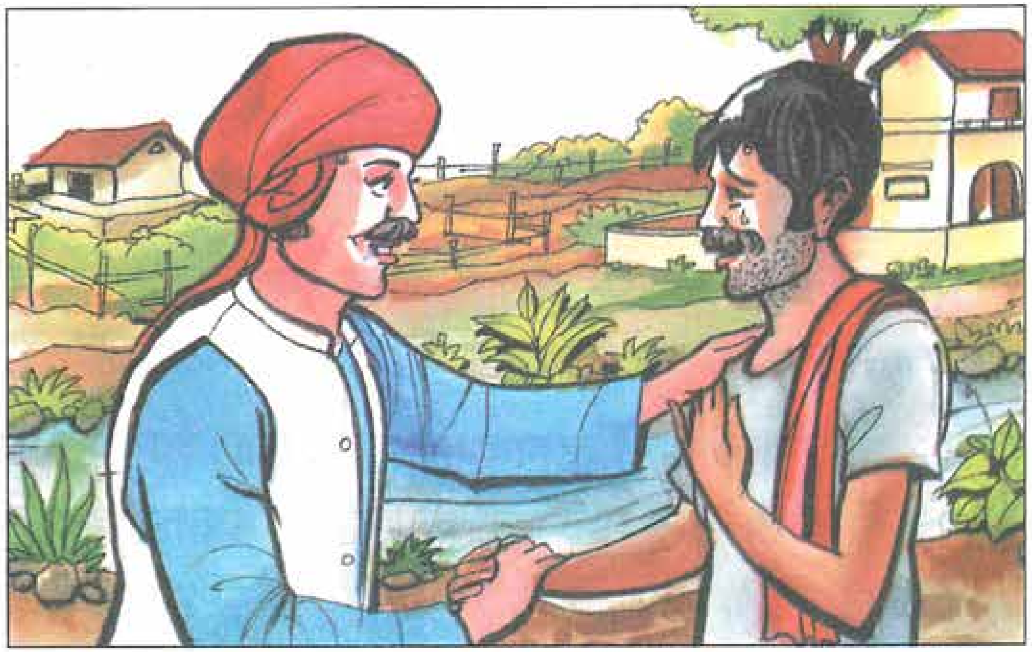

साहब ने रामू को ढांढस बंधाया। पटेल ने रामू को बताया– ''घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हिम्मत से काम लो। सरकार ने अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को विशेष सुविधाएं तथा अधिकार दिए हैं। विशेष न्यायालय के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को नि:शुल्क न्याय मिलता है। तुम्हें जमीन वापस मिलेगी। धनराज को जेल की हवा खानी पड़ेगी।''

पटेल रामू को लेकर पुलिस थाने पर आए। रामू ने थानेदार को सारी बात बताई।

थानेदार ने कहा– ''किसी भी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति को उसकी जमीन से बेदखल करना गुनाह है। झूठे कागजात बनाना कानूनी अपराध है। इस अपराध में कड़ी सजा व जेल होती है। तुम रिपोर्ट लिखवा दो। धनराज को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी।''

''विशेष न्यायालय में तुम्हारा मामला चलेगा। कानूनी खर्च और वकील की फीस तुम्हें नहीं देनी होगी। भारत सरकार ने अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को ये सुविधाएं दी हैं,

ताकि ये लोग सम्मान से जी सकें। इस कानून से धनराज को जमानत भी नहीं मिलेगी। उसे जेल जाना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारी खेती की जमीन वापस मिलेगी। हम उसकी रक्षा करेंगे।''

थानेदार की बात सुनकर रामू को बड़ी राहत मिली।

रामू ने सारा हाल बताया। थानेदार ने रिपोर्ट लिख ली। धनराज को गिरफ्तार कर विशेष कोर्ट में लाया गया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने रामू को उसकी जमीन के

कागजात वापस दिलवा दिए।

रामू ने अपने खेत में फसल बोई। अब रामू और उसका परिवार अपने खेतों में लहलहाती फसल देखकर बहुत खुश है। थानेदार रामू के हाल-चाल लेते रहते हैं।

❑

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989

अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को समाज में बराबरी का हक मिलना चाहिए। उन पर होने वाले अत्याचारों व अपराधों को रोकना कानून की जिम्मेदारी है। इसके लिए सरकार ने कानून बनाए हैं।

अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों की सूची :

सरकार ने आर्थिक व सामाजिक रूप से अत्यन्त पिछड़ी जाति के विकास के लिए उनकी एक विशेष सूची बनाई है। इसमें शामिल लोगों को अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य माना गया है। इस सूची को भारत के संविधान में जोड़ा गया है। (प्रत्येक राज्य की सरकार अपने राज्य के हिसाब से अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की सूची बनाती है।)

अत्याचार क्या हैं :

जो व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य नहीं है, वह अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य के लिए –

- जातिसूचक शब्द बोलता है।
- उसे न खाने लायक या हानिकारक वस्तु को खाने या खिलाने

के लिए मजबूर करता है।

- उसके घर में कूड़ा–कचरा, पशुओं के शव, पेशाब, शौच या गंदगी इत्यादि फेंकता है।
- उसके चेहरे या शरीर को पोतकर उसे घुमाता है या उसके सम्मान को नुकसान पहुंचाता है।
- उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करता है या उस पर खेती करता है।
- उससे जबरन श्रम कराता है या बंधुआ मजदूरी कराता है।
- उसे मतदान नहीं करने देता या किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में वोट देने के लिए मजबूर करता है।
- उस पर झूठा आरोप लगाता है या झूठा मुकदमा दर्ज कराता है।
- सरकारी कर्मचारी को झूठी खबर देकर उस पर कार्यवाही कराता है।
- किसी महिला की लज्जा भंग करता है। उस पर बल प्रयोग करता है। उसका यौन शोषण करता है।
- सार्वजनिक हैंडपम्प, कुएं, तालाब या जल स्रोत से पानी लेने से रोकता है।
- उसके उपयोग में लाई जाने वाली जगह को गंदा करता है।

- उसे गांव, मकान या उसके रहने की जगह को छोड़ने पर मजबूर करता है।

सजा :

ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति को कम से कम छह माह और अधिक से अधिक 5 साल की जेल और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है।

रिपोर्ट कहां होगी, किससे शिकायत करें :

यदि किसी अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध होता है तो वह –

- पुलिस थाने में मौखिक रिपोर्ट कर सकता है। इस रिपोर्ट को पुलिस अधिकारी लिखेगा और पढ़कर सुनाएगा।
- रिपोर्ट लिखकर भी थाने में दी जा सकती है।
- पुलिस अधिकारी उस रिपोर्ट का सार तत्काल पुलिस थाने में रखी पुस्तिका में लिखेगा।
- पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति पीड़ित को निःशुल्क दी जाएगी।
- पुलिस को रिपोर्ट डाक से भी भेजी जा सकती है। पुलिस उप अधीक्षक घटना की जांच करेगा और मौके पर जाकर स्थिति देखेगा।

- राहत के हकदार पीड़ित और उसके परिवार व उन पर आश्रितों की सूची बनाएगा।
- संपत्ति की हानि व नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा।
- क्षेत्र में पुलिस की गहन गश्त के आदेश देगा।
- गवाहों और पीड़ितों की मदद करने वालों को सुरक्षा प्रदान करेगा।
- पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करेगा।
- अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए कार्यवाही करेगा।

पीड़ित को सहायता :

पीड़ित को सहायता इन तरीकों से दी जाती है –

- नकद या वस्तु के रूप में।
- कृषि भूमि तथा आवास के रूप में।
- पुनर्वास की व्यवस्था।
- आश्रित अथवा कुटुम्ब के सदस्यों में से एक को रोजगार देना।
- विधवाओं, मृतक के आश्रित बालकों, विकलांग या अत्याचार से पीड़ित वृद्धों के लिए पेंशन योजना।
- पीड़ितों को नुकसान का मुआवजा।

- पीड़ितों के आर्थिक व सामाजिक हालात मजबूत करना।
- पीड़ितों को घर बनाने के लिए ईंट/पत्थर व जगह देना।
- उनके स्वास्थ्य, निवास, आवश्यक चीजों की पूर्ति, बिजली, पानी, श्मशान घाट की सुविधा देना, उन्हें जरूरी चीजों की आपूर्ति कराना, उनके निवास तक पहुंचने के लिए सड़क बनाना और उसका उचित रख-रखाव करना।

कानून के अनुपालन में सरकार के कर्त्तव्य :

- पीड़ित व्यक्ति को सुविधाएं देना, जिसमें कानूनी सहायता की व्यवस्था भी शामिल है।
- गवाहों व पीड़ित व्यक्ति को यात्रा और भरण-पोषण का व्यय सरकार देगी।
- पीड़ित व्यक्तियों के आर्थिक व सामाजिक पुनरुद्धार की व्यवस्था करेगी।
- निरीक्षक समिति की नियुक्ति करेगी। समय-समय पर इन अपराधों व कानूनों के बारे में सुझाव देगी और सर्वेक्षण करने की व्यवस्था करेगी।
- अनुसूचित जातियों/जनजातियों के समुदाय पर अत्याचार न हों, इसके लिए उनकी सुरक्षा के उपाय करेगी।

गंभीर अपराध और उनकी सजा :

अपराध- झूठी गवाही या सबूत देना, जिससे अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को मृत्यु दंड मिल सकता है।

सजा- अपराधी उम्रकैद और जुर्माना दोनों से दंडित होगा।

अपराध- झूठी गवाही या सबूत देना, जिसमें 7 साल से अधिक की सजा हो सकती है।

सजा- छह माह से लेकर सात साल तक की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित होगा।

अपराध- संपत्ति या उसके किसी भाग को विस्फोटक से नुकसान पहुंचाना।

सजा- छह माह से लेकर सात साल तक की जेल व जुर्माना या दोनों से दंडित होगा।

अपराध- पूजा स्थल, निवास या संपत्ति रखने के स्थान को आग लगाकर या विस्फोटक से नष्ट करना।

सजा- आजीवन कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा।

अपराध- किसी अपराध या गवाह के बारे में जानकारी छिपाना, जिससे अपराधी बच जाता है।

सजा- उस अपराध के लिए तय सजा होगी।

अपराध- सरकारी कर्मचारी इन जातियों के व्यक्तियों के साथ अपराध करता है।

सजा- एक साल से लेकर अपराध के लिए तय सजा होगी।

अपराध- सरकारी कर्मचारी इन जातियों के व्यक्तियों के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करता है।

सजा- छह माह से एक साल तक की जेल हो सकती है।

अपराध- दूसरी बार अपराध करने पर।

सजा- कम से कम एक साल की जेल या अपराध के लिए कानून में दी गई अवधि तक की निर्धारित सजा होगी।

मुकदमा कहां चलेगा, रिपोर्ट कैसे दर्ज कराएं :

सरकार ने हर क्षेत्र में अनुसूचित जाति कल्याण प्रकोष्ठ व अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचारों के संबंध में विशेष पुलिस थाने बनाए हैं। वहां इस तरह के अपराधों की रिपोर्ट लिखी जाती है और जांच होती है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर विशेष न्यायालय में मुकदमा भेजती है, जहां मामलों की सुनवाई होती है।

विशेष न्यायालय में पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में सरकार द्वारा

मुफ्त में मुकदमा लड़ने के लिए विशेष वकीलों की नियुक्ति की गई है।

न्यायालय क्या आदेश दे सकता है :

किसी अपराध में संपत्ति का हनन होने पर उसे जब्त करने का आदेश दे सकता है। पुलिस रिपोर्ट में किसी व्यक्ति के किसी स्थान पर मौजूद होने के कारण अपराध होने की संभावना हो तो न्यायालय उसे ऐसे स्थान पर जाने से रोक सकता है।

❑

कानूनी साक्षरता शृंखला पुस्तिकाएं

शीर्षक	शृंखला क्रमांक
◆ **आंखे खुल गईं** (भारतीय नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य)	1
◆ **और बात बन गई** (गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम 1994 व संशोधित 2003)	2
◆ **रमा की पाठशाला** (शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009)	3
◆ **गरिमा का सवाल** (यौन हिंसा के विरुद्ध कानून 2013)	4
◆ **दहेज परंपरा नहीं अभिशाप** (दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961)	5
◆ **आशा की किरण** (घरेलू हिंसा से संरक्षण 2005)	6
◆ **अब कोई भूखा न रहे** (खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013)	7
◆ **अत्याचार का अंत** (अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989)	8
◆ **रमेश को मिला न्याय** (नि:शुल्क विधिक सहायता)	9
◆ **हमारे जंगल - हमारी धरोहर** (अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008)	10
◆ **यूं बनी सड़क** (भू-अधिग्रहण कानून 2013)	11
◆ **भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं**	12

साक्षर भारत

राज्य संदर्भ केंद्र
राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति
7-ए, झालाना संस्थान क्षेत्र, जयपुर-302004

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार, नई दिल्ली 110001
वेबसाइट : www.mhrd.gov.in, www.Mygov.in